झारखण्ड विधान-सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड मनोरंजन कर विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड मनोरंजन कर विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. परिभाषाएँ।
3. मनोरंजन कर का प्रभार।
4. मनोरंजन में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों से मनोरंजन कर संग्रहण करने वाला निर्धारिती।
5. कर का भुगतान।
6. मनोरंजन के मालिक/स्वत्वधारी का निबंधन।
7. सिक्यूरिटी।
8. मनोरंजन में प्रवेश।
9. कर के भुगतान से मुक्त किये गये मनोरंजन।
10. अनुसूचियों में संशोधन करने की सरकार की शक्तियाँ।
11. मनोरंजन का समय तथा उसके लिए भुगतान की दर तालिका का सहज प्रदर्शन।
12. मनोरंजन का प्रस्तुत करने तथा मनोरंजन कर की वसूली।
13. कर निर्धारण।

14. छोड़ दिया गया कर निर्धारण और लेखा परीक्षा संक्षेपण।

15. वसूली की विशेष रिति।

16. झारखंड मूल्यवद्धित कर अधिनियम, 2005 लागू होना।

17. कतिपय मामलों में कर वापसी।

18. मनोरंजन स्थलों में प्रवेश एवं उसका निरीक्षण।

19. लेखा एवं कागजात की प्रस्तुती एवं निरीक्षण।

20. कर के संग्रहण पर प्रतिबंध।

21. अधिकरिता का वर्जन।

22. उच्च न्यायालय में मामलें का कथन।

23. लाभ के लिए टिकटों की पुनः बिक्री का प्रतिषेध।

24. अपराध या शास्तियाँ।

25. अपराध शमन कर शक्ति।

26. कतिपया कार्यवाहियों का वर्जन।

27. नियमावली बनाने की शक्ति।

28. निरसन तथा व्यावृत्तियाँ।

29. विधि मान्यकरण तथा छूट।

30. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।

31. निरसन तथा व्यावृत्तियां ।

झारखण्ड मनोरंजन कर विधेयक, 2012
[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य में झारखण्ड मनोरंजन कर अधिनियम 2012 लागू करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 63वें वर्ष में यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ – (1) इस अधिनियम झारखण्ड मनोरंजन कर अधिनियम, 2012 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना निर्गमन से नियत की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ – इस अधिनियम में यदि विषय या सन्दर्भ में कुछ असंगत नही है तो,–

(क) "प्रवेश" प्रवेश से अभिप्रेत है दर्शक या श्रोता के रूप में प्रवेश करना तथा मनोविनोद के उद्देश्य हेतु आवसों/होटलों/क्लबों आदि स्थानों में जहाँ कोई मनोरंजन हो रहा है में किसी मनोविनोद में भाग लेने के लिए प्रवेश करना।

(ख) "मनोविनोद/मनोरंजन पार्क" से अभिप्रेत है वह स्थान जिसमें विविध प्रकार के मनोविनोद जैसे खेल या झूले या दोनों ही शामिल है (किंतु जिसमें सिनेमाटोग्राफी का प्रदर्शन तथा दृश्य प्रदर्शन सम्मिलित नही हैं) जो प्रवेश के लिए स्थायी आधार पर पूर्ण रूप से भुगतान पर ही उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) "एन्टिना" से अभिप्रेत है एक यन्त्र या उपकरण या डिवाइस (संयंत्र) जो टेलिविजन के सिग्नल या अन्य इलैक्ट्रानिक सिग्नल प्राप्त करता है, जो दर्शकों के लिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट में सम्मिलित प्रसारण स्वर–संगति में प्रसारण को परिचालित करता है, तथा जो तारों या अन्यों के माध्यम से टेलिविजन सिग्नल के प्रसारण के द्वारा फिल्मों के प्रदर्शन या प्रचलित पिक्चर या पिक्चरों के क्रमों के लिए निर्मित एवं स्थापित किया गया है, जहाँ उपभोक्ता आवासीय या गैर आवासीय स्थानों पर टीवी को सेट करता है, जो एक केन्द्रीय प्रक्रिया जिसे हेड–एंड कहा जाता है से धातु की कोकसियल केबल या ओपटिक–फाइबर की केबल से जुड़ा होता है, जो किसी सहयोग या सदस्यता या स्थापना से संपर्क धारक द्वारा भुगतान पर तथा संपर्क शुल्क या एक्टिवेट भाुल्क द्वारा या किराये या सिक्योरिटी राशि या किसी अन्य रूप में मनोरंजन साधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एकत्र किया जाता है।

(घ) " निर्धारिती" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति या किसी मनोरंजन साधन का मालिक, जो किसी अन्य व्यक्ति या उपभोक्ता से मनोरंजन के लिए सदस्यता, निर्धारित शुल्क, स्पोंसरशिप शुल्क, दर शुल्क, प्रवेश शुल्क, संयुक्त शुल्क, एकमुश्त शुल्क, किराये, सिक्योरिटी राशि या अन्य रूप में भुगतान वसूल करता है तथा जो इस अधिनियम के अंतर्गत मनोरंजन कर देने के लिए उत्तरदायी है।

(ड) "केबल ओपरेटर" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो किसी केबल टेलिविजन नेटवर्क द्वारा या अन्य नियंत्रणों द्वारा केबल टीवी सेवा उपलब्ध कराता है या जो किसी केबल टेलिविजन नेटवर्क के लिए केबल सेवा के प्रबंधन तथा परिचालन के लिए उत्तरदायी है तथा जिसमें ऐसे उप–केबल ऑपरेटर या कुछ एजेन्ट सम्मिलित होते है जो केबल टेलिविजन नेटवर्क के आगामी वितरण के लिए मूल से सिग्नल प्राप्त करते हैं।

(च) "केबल सेवा" से अभिप्रेत है केबलों द्वारा प्रसारण या टेलिविजन सिग्नलों के किसी प्रसार प्रसारण का केबल द्वारा पुनः प्रसारण सम्मिलित करने वाला कार्यक्रम

(छ) केबल दूरदर्शन नेटवर्क से अभिप्रेत है बहुल उपभोक्ताओं द्वारा अभिग्रहण के लिए सेवा उपलब्ध करवाने के लिए तैयार किए गए: अवरूद्ध प्रसारण पथ तथा सम्बद्ध सिग्नल, उत्पादन नियंत्रण तथा वितरण या प्रसारित उपकरण (णों) के किसी सेट की प्रणाली संगत करना,

(ज) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "आयुक्त" से अभिप्रेत है आयुक्त या वाणिज्य–कर अपर आयुक्त जो झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं तथा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित हैं जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए सभी या कोई अधिकार तथा कर्त्तव्य प्रदान करे।

(झ) "मानार्थ टिकट" से अभिप्रेत है कोई पास या प्राधिकार जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए किसी मनोरंजन में निःशुल्क या मनोरंजन के लिए भुगतान शुल्क की छूट पर प्रवेश को सुरक्षित करने के लिए सक्षम बनाता है।

(ञ) "समाहितकरण" से अभिप्रेत है स्थिर राशि या सकल संग्रहण क्षमता का स्थिर प्रतिशत या सकल संग्रहण या एकमुश्त भुगतान या उस निश्चित अवधि में किए गए प्रदर्शन/शो की वास्तविक संख्या पर ध्यान दिए बिना निश्चित अवधि में निश्चित की गई संख्या के लिए सहयोग के रूप में कर का भुगतान।

स्पष्टीकरण – सकल संग्रहण क्षमता या सकल संग्रहण– सिनेमाटोग्राफ प्रदर्शन के सम्बन्ध में बैठने की कुल क्षमता के लिए सकल राशि परिकलन या थियेटर/सिनेमा हॉल/हॉल या ऐसा कोई स्थान जहाँ मनोरंजन किया जा रहा है को मूल्यवान प्रतिफल के लिए सकल संग्रहणकरेगा जिसमें प्रवेश शुल्क, कर परिकलन को सम्मिलित करेगा या धारा 3 की उप–धारा (1) के अंतर्गत या निश्चित की गई दर के आधार पर या प्राधिकार, अधिकार, सुविधा के लिए अन्य अधिशुल्क या कोई शुल्क या झारखण्ड के नगर विकास विभाग द्वारा निश्चित किए गए किसी मनोरंजन अपवर्जक व्यवस्था शुल्क के रूप में प्रवेश के अधिकार के साथ कुछ भी सम्मिलित करने के लिए सकल संग्रहण प्राप्त करता है।

(ट) "डायरेक्ट टू होम" (डीटीएच) सेवा से अभिप्रेत है किसी केबल सेवाओं के माध्यमों का प्रयोग किए बिना उपभोक्ताओं के आवासों/होटलों/क्लबों के लिए सीधे एन्टिना या इसी प्रकार के अन्य यंत्रों से टेलिविजन सिग्नलों द्वारा सैटेलाइट प्रणाली के प्रयोग द्वारा बहु चैनल टेलिविजन कार्यक्रमों की कोई प्रणाली।

(ठ) "डायरेक्ट होम सेवा (डीटीएच)" सेवा से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति या मालिक या एजेन्सी जो सेट टॉप बॉक्स या किसी एन्टिना या संयंत्र या उपकरण या इसी प्रकार के किसी उपकरण द्वारा डायरेक्ट होम सेवा उपलब्ध कराता है तथा जिसमें इस डीटीएच सेवा का एक्टिवेशन या नवीनीकरण भी सम्मिलित होता है।

(ड) "मनोरंजन" जिसमें कोई प्रदर्शनी, कार्य, मनोविनोद, खेल, शो या क्रीड़ाएँ शामिल होती हैं, जिनमें व्यक्ति भुगतान करने पर ही प्रवेश कर सकता है या टेलिविजन प्रदर्शनी के किसी एन्टिना की सहायता से केबल नेटवर्क के साथ या केबल टेलिविजन नेटवर्क या डायरेक्ट होम सेवा (डीटीएच) से इसे जोड़ता है, जिसके लिए व्यक्ति को सहयोग राशि, सदस्यता, स्थापना, किराये या सिक्योरिटी राशि तथा सम्पर्क शुल्क या इसी प्रकार के किसी अन्य रूप में एकत्र किए गए शुल्कों का भुगतान करना पड़ता है। किंतु जिसमें जादुई शो तथा अस्थायी मनोविनोद जैसे खेल तथा झूलों को शामिल नही किया जाता है।

इस खण्ड के प्रयोजनार्थ –

"प्रदर्शन" में विडियो प्रदर्शन के साथ सिनेमाटोग्राफ द्वारा किए गए किसी प्रदर्शन को या किसी प्रकार के एन्टिना की सहायता से इससे केबल नेटवर्क को जोड़ कर प्रदर्शन टेलिविजन या केबल

सेवा (ओं) से प्रासांगिक केबल ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए केबल टेलिविजन नेटवर्क को सम्मिलित किया जाता है;

स्पष्टीकरण – इस उपबन्ध के प्रयोजनार्थ, प्रदर्शन में मल्टीप्लैक्स सिनेमा कॉम्पलेक्स में होने वाले प्रदर्शन सम्मिलित होंगें।

"खेल" में विडियों गेम सम्मिलित होते हैं जो मशीन के सहायता से खेले जाते हैं, जो मनोरंजन या किसी अन्य उद्देश्यों के लिए विद्युत या मशीनी या विद्युत–मशीन रूप से परिचालित किये जाते हैं तथा

"अस्थायी मनोविनोद" अभिव्यक्ति का अर्थ है ऐसे मनोविनोद झूले या खेल जो मनोविनोद पार्क या मेलों या बाज़ारों में पूर्णतः स्थायी आधार पर उपलब्ध नही कराए जाते हैं।

(ढ़)"मनोरंजन कर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन "मनोरंजन" पर कर वसूल करना।

(ण)"सरकार" से अभिप्रेत है राज्य सरकार

(त)"माह" से अभिप्रेत है कैलेण्डर का कोई माह

(थ)"मल्टीप्लेक्स सिनेमा कॉम्पलेक्स" से अभिप्रेत है मनोरंजन के साथ सांस्कृतिक केन्द्र या कोई शॉपिंग मॉल, जिसमें कुल 750 सीटों वाले कम से कम तीन थियेटर तथा इसी प्रकार की प्रासंगिक एवं संबंधित सुविधाएँ उपलब्ध हो, जो राज्य सरकार के नगर विकास विभाग के संकल्प द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(द)"अधिसूचना" अर्थात् सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना।

(ध)"मनोरंजन के लिए भुगतान" में सम्मिलित हैं –

(i) किसी व्यक्ति द्वारा प्रवेश के लिए किया गया भुगतान जिसके लिए मनोरंजन के किसी स्थान के एक भाग में जाना तथा तदनन्तर इसके किसी अन्य भाग में जाना जिसमें प्रवेश के लिए भुगतान के साथ कर भी निहित होता है; या

(ii) मनोरंजन के किसी स्थान में सीटों या अन्य संयोजन के लिए मान्य विवेचन हेतु कोई भुगतान।

(iii) किसी उद्देश्य या मूल्यवान प्रतिफल से संबंधित किसी मनोरंजन के लिए कोई भुगतान जो किसी व्यक्ति को किसी मनोरंजन में प्रवेश करने के लिए जिसे मनोरंजन में शामिल करने या संगठित करने के लिए भुगतान की आवश्यक शर्तों के रूप में जोड़ा जाता है।

(iv) किसी प्रकार के एन्टिना की सहायता से जोड़े गए केबल नेटवर्क से या केबल ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए केबल टेलिविजन नेटवर्क के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई ऐसा भुगतान जो टेलिविजन प्रदर्शन के लिए सहयोग, सदस्यता, किश्त, क्लेकशन शुल्क, मान्य विवेचन, या किसी अन्य शुल्क के रूप में एकत्रित किया जाता है।

(v) सेट टॉप बॉक्स या इसी प्रकार के किसी अन्य उपकरण/यंत्र या ऐसी ही किसी अन्य डिवाइस जो क्नेकशन धारकों के आवासों/होटलों/क्लबों या गैर–आवासीय स्थानों पर टेलिविजन सेट को सीधे सैटेलाइट से जोड़ते हैं की सहायता से किसी व्यक्ति द्वारा डायरेक्ट टू होम सेवा के मालिक को किया गया भुगतान जो डायरेक्ट टू होम सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सहयोग राशि, सदस्यता, स्थापना या किराये या सिक्योरिटी, एक्टिवेशन शुल्कों, मूल्यवान प्रतिफल या किसी अन्य प्रकार के शुल्कों के रूप में एकत्रित किया जाता है।

स्पष्टीकरण– इस उप–खण्ड के प्रयोजनार्थ किसी कॉपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी, आवासीय परिसरों या फैक्ट्री, होटलों, लॉज, बॉर, रूम परमिट पब, के प्रबंधन द्वारा या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा, इसके सदस्यों के लिए या कर्मचारियों या उपभोक्ताओ या स्वंय के लिए या उनके लिए इससे जुड़े केबल टेलिविजन के केबल नेटवर्क से प्रसारण को सुरक्षित करने के लिए किसी एन्टिना या ऐसे ही अन्य संयंत्र उपकरण की खरीद के लिए किया गया व्यय इस उप–खण्ड के तहत इससे जुड़े केबल नेटवर्क से किसी

प्रकार के एन्टिना या किसी डीटीएच सेवा उपलब्धकर्त्ता केबल टेलिविजन नेटवर्क की सहायता से टेलिविजन प्रदर्शन के लिए किया गया भुगतान समझा जाएगा।

(vi) किसी कार्यक्रम हेतु प्रायोजन या सहयोग राशि के रूप में किया गया भुगतान जो केवल आमंत्रितगणों के लिए बिना टिकट बिक्री के आयोजित किया गया है

(न) "अवधि" से अभिप्रेत है 'सप्ताह' या 'माह' या 'त्रैमासिक' या 'वार्षिक', इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ जब और जैसे लागू किया गया है।

(प) "व्यक्ति" सम्मिलित हैं–

(1) व्यक्गित विशेष (2) एक संयुक्त परिवार (3) कोई कंपनी (4) कोई फर्म (5) व्यक्तियों का कोई संघ या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हैं या नहीं (6) केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार या भारत का कोई संघीय क्षेत्र (7) कोई स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार या कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया कोई प्राधिकारी;

(फ) विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ब) "विहित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है उक्त अधिसूचना में उल्लिखित क्रमशः विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर तथा इस नियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए कृत्यों, कर्त्तव्यों एवं भाक्तियों के प्रयोग एवं निर्वहन हेतु झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 के अधीन यथा नियुक्त और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी।

(भ) "कार्यक्रम" से अभिप्रेत है:–

(i) किसी सैटेलाइट चैनल द्वारा या विडियो कैसेट रिकॉर्डर या विडियो कैसेट प्लेयर या डायरेक्ट टू होम सेवा (डीटीएच) से फिल्म, फीचर, ड्रामा, विज्ञापन, शो, इवेन्ट तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन;

(ii) कोई श्रव्य या दृश्य या श्रव्य–दृश्य सीधा प्रदर्शन या प्रस्तुतीकरण तथा तदनुसार अभिव्यक्ति कार्यक्रम सेवा।

(म) "मालिक/स्वत्वाधारी" से अभिप्रेत है किसी मनोरंजन के संबंध में इसका अर्थ है वह व्यक्ति

(i) जो इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है

(ii) जो किसी भी अवधि के लिए किसी भी रूप में मनोरंजन के संगठन से जुड़ा है; या

(iii) जिसे मनोरंजन के प्रवेश का कार्य प्रभारित, सौंपा या प्राधिकृत किया गया है; या

(iv) मनोरंजन प्रबंधन के लिए जिम्मेवार या तत्समय प्रभारी चाहे उसने तत्समय प्रवत्त किसी विधि के अधीन ऐसे मनोरंजन स्थल के लिए अनुज्ञप्ति यदि कोई हो, प्राप्त की है या नहिं;

(v) जिसे किसी प्रकार के एन्टिना या सहायक उपकरण या केबल टेलिविजन नेटवर्क से केबल क्नेकशन उपलब्ध कराने वाले केबल ऑपरेटर के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है तत्समय उसका प्रभारी है।

(vi) कोई व्यक्ति जिसमें कोई विशेष, फर्म, कंपनी, या निकाय कॉरपोरेट या कृत्रिम विधिक व्यक्ति, सांझा फर्म, निर्गमण निकाय या कोई कंपनी सम्मिलित है, जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है, उसे किसी मनोरंजन या बहु सिनेमा कॉम्पलेक्स के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है या तत्समय उसका प्रभारी है; या

(vii) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निबंधित की गई सरकारी एजेन्सियों या ऐसी ही किन्हीं कंपनियों द्वारा सम्मिलित किया गया कोई व्यक्ति जिसके पास भारत सरकार द्वारा भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम, 1985 की धारा 4 तथा भारतीय वायरलेस टेलिग्राफ अधिनियम, 1933 के तहत डायरेक्ट (डीटीएच) प्रसार सेवा उपलब्ध करवाने का लाइसेंस है।

(कक) "त्रैमासिक" से अभिप्रेत है 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर तथा 31 मार्च को होने वाली त्रैमासिक समाप्ति

(कख) "अनुसूची" से अभिप्रेत है वह अनुसूची जो मनोरंजन (नों) के लिए कर की दर (रों) को विनिर्दिष्ट करती है तथा जो इस अधिनियम के साथ संलग्न है।

(कग) "सीट" स्थायी समायोजन को सम्मिलित करता है

(कघ) "सेट टॉप बॉक्स" से अभिप्रेत है कोई ऐसा यंत्र या उपकरण जो आवासीय या गैर आवासीय परिसरों या आवासीय परिसरों जैसे स्थानों पर टेलिविजन से जोड़ा जाता है, जो सीधे सैटेलाइट से डिश एन्टिना द्वारा कूट किए गए/एन्क्रीप्टिड टेलिविजन सिग्नल प्राप्त करता है तथा टेलिविजन सेट को अगुप्त/डिक्रिप्टिड टेलिविजन सिग्नल उपलब्ध कराता है, जो दर्शकों को भुगतान पर बहु चैनल टेलिविजन कार्यक्रम चलाने में सक्षम बनाता है।

स्पष्टीकरण– इस उप–खण्ड के प्रयोजनार्थ किसी कॉपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी, आवासीय परिसरों या फैक्ट्री, होटलों, लॉज, बॉर, रूम परमिट पब, के प्रबंधन द्वारा या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा, इसके सदस्यों के लिए या कर्मचारियों या उपभोक्ताओ या स्वयं के लिए या उनके लिए इससे जुड़े केबल टेलिविजन के केबल नेटवर्क से प्रसारण को सुरक्षित करने के लिए किसी एन्टिना या ऐसे ही अन्य संयंत्र उपकरण की खरीद के लिए किया गया व्यय इस उप–खण्ड के तहत इससे जुड़े केबल नेटवर्क से किसी प्रकार के एन्टिना या किसी डीटीएच सेवा उपलब्धकर्त्ता केबल टेलिविजन नेटवर्क की सहायता से टेलिविजन प्रदर्शन के लिए किया गया भुगतान समझा जाएगा।

(कड.) "स्पोंसरशिप राशि" से अभिप्रेत है वह राशि (या आपूर्त्ति किए गए माल का मूल्य या प्रस्तुत की गई सेवाएँ या उपलब्ध कराए गए लाभ) जो स्पोंसरकर्त्ता द्वारा स्पोंसरकर्त्ता के उत्पाद या शो या इवेन्ट या उसके उत्पाद के नाम का विज्ञापन करने के लिए किसी मनोरंजन कार्यक्रम के आयोजन कर्त्ता को दी जाती है।

(कच) "राज्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य।

(कछ) "उपभोक्ता" वह व्यक्ति जो केबल टेलिविजन नेटवर्क के प्रयोजनार्थ या डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा या किसी मनोरंजन योजना के तहत टेलिविजन सिग्नल प्राप्त करता है।

(कज) "कर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के तहत वसूल किया गया 'मनोरंजन कर'

(कझ) "टिकट" या "अवधि टिकट" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति को प्रवेश के लिए या व्यक्तियों को किसी मनोरंजन के लिए मालिक द्वारा जारी की गई टिकट।

(कञ) "न्यायाधिकरण/ट्रिब्यूनल" से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम – 2005 की धारा 3 के अधीन न्यायाधिकरण/ट्रिब्यूनल संवैधानिक किया गया

(कट) "मान्य चिंतन" से अभिप्रेत है किसी नकद या विलम्बित भुगतान तथा जिसमें मनोरंजन के लिए भुगतान भी शामिल है–

(i) किसी व्यक्ति द्वारा टेलिविजन प्रदर्शन के लिए इसे किसी प्रकार के एन्टिना की सहायता से जोड़े गए केबल नेटवर्क से या केबल ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए केबल टेलिविजन नेटवर्क के लिए दी गई सहयोग राशि, सदस्यता, किराया, या सिक्योरिटी, या स्थापना क्लेकशन शुल्क, या ऐसे ही किसी अन्य शुल्क के रूप में एकत्रित किया जाता है।

(ii) सेट टॉप बॉक्स या इसी प्रकार के किसी अन्य उपकरण/यंत्र या ऐसी ही किसी अन्य डिवाइस जो क्नेकशनों धारकों के अवासों/होटलों/क्लबों या गैर–आवासी स्थानों पर टेलिविजन सेट को सीधे सैटेलाइट से जोड़ते हैं की सहायता से डायरेक्ट टू होम प्रसार सेवा उपलब्ध करवाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा डायरेक्ट टू होम प्रसार सेवा के मालिक को दी गई सहयोग राशि, सदस्यता, स्थापना या किराये या सिक्योरिटी, एक्टिवेशन शुल्कों, कनेक्शन शुल्कों या इसी प्रकार के अन्य शुल्कों के रूप में एकत्रित किया जाता है।

परन्तु इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति एक रजिस्टैर बनाएगा जिसमें उपलब्ध कराए गए कनेक्शनों की संख्या, उपभोक्ताओं के नाम व पते, उपभोक्ता द्वारा किए गए प्रत्येक महीने के भुगतान, उपभोक्ता को प्रदर्शित किए गए चैनलों की संख्या तथा किसी भी रूप में एकत्र किए गए कनेक्शन शुल्कों को दर्शाएगा।

(कठ) "सप्ताह" से अभिप्रेत है वह दिन जो बुधवार से आरंभ होता है।

(कड) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष

इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ वह होंगे जो सिनेमाटोग्राफ अधिनियम 1952, केबल टेलिविजन नेटवर्क (नियम) अधिनियम 1995, प्रसार भारती (भारतीय प्रसार निगम) अधिनियम, 1990, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1995, भारतीय वायरलेस टेलिग्राफ अधिनियम, 1933, तथा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 तथा इन अधिनियमों के अधीन बनाए/जारी किए गए नियमों तथा अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

3. मनोरंजन कर का प्रभार – (1) उप– धारा (2), में यथा निबंधित के सिवाय, निर्धारिती द्वारा इस अधिनियम के तहत जारी की गई अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट दर (रों) पर मनोरंजन कर राज्य सरकार को जमा तथा भुगतान किया जाएगा।

परन्तु राज्य सरकार विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए तथा विनिर्दिष्ट विभिन्न क्षेत्रों के लिए मनोरंजन की विभिन्न श्रेणियों के संदर्भ में मनोरंजन कर की विभिन्न दर या दरों को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

परन्तु यह और कि मनोरंजन कर की दर सकल संग्रहणमूल्यों/प्रवेश शुल्क(कों)/सदस्यता(ओं)/सहयोग(गों)/किराया/सिक्योरिटी/स्पोंसरशिप/एक्टिवेशन शुल्कों या किसी अन्य प्राप्त किए गए मूल्यवान प्रतिफल द्वारा या मनोरंजन उपलब्ध करवाने के लिए प्राप्त करने योग्य के तीस प्रतिशत से अधिक नही होगी।

(2) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अनुसूचि में उल्लेखित संयोजित दर(रों) पर किसी मनोरंजन के मालिक से सिनेमाटोग्राफ प्रदर्शन के संबंध में मनोरंजन कर वसूल किया जाएगा।

परन्तु कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट अवधियों तथा विनिर्दिष्ट विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में कर की विभिन्न दर या दरों को सुनिश्चित कर सकती है।

परन्तु यह और कि राज्य सरकार मल्टीप्लेक्स सिनेमा कॉम्पलेक्सों की पृथक इकाइयों के संबंध में उनकी बैठने की क्षमता के आधार पर विभिन्न दरों को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

4. मनोरंजन में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों से मनोरंजन कर संग्रहण करने वाला निर्धारिती – इस अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक निर्धारिती मनोरंजनों में प्रवे । करने वाले व्यक्तियों से टिकटों के मूल्यवान प्रतिफल या सम्मानार्थ टिकट स्पोंसरशिप राशि के बराबर राशि संग्रहण का हक़दार होगा।

5. कर का भुगतान – इस अधिनियम के उपबंधों तथा यथा विहित नियमों के अधीन निम्नलिखित प्रकार के मनोरंजनों के लिए प्रत्येक निर्धारिती द्वारा मनोरंजन कर देय होगा

(i) धारा की उप–धारा (2) के अधीन आने वाले सिनेमाटोग्राफ प्रदर्शन के लिए, सप्ताह के प्रारम्भ होने के पूर्व,

(ii) अनुसूची की क्रम संख्या 2 के साथ पठित धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन आने वाले विडिओ प्रदर्शन के लिए , माह प्रारम्भ होने के पूर्व,

(iii) अनुसूची की क्रम संख्या 3 के साथ पठित धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन आने वाले मल्टीप्लेक्स सिनेमा कॉम्प्लेक्स प्रदर्शन के लिए, सप्ताह प्रारम्भ होने के पूर्व,

(iv) धारा 2 के खण्ड (x) एवं (कघ) के अधीन आने वाले प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए, ऐसे प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रारम्भ होने के पूर्व,

(v) संबंधित माह की समाप्ति के बाद माह के 7 वें दिन तक अनुसूची की क्रम संख्या 4, 5 एवं 6 के साथ पठित धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन आने वाले केबल ऑपरेटर, ऑपरेटिंग केबल टेलिविजन नेटवर्क तथा डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदानकर्त्ता, तथा मनोरंजन के अन्य विवरणों के लिए:

स्पष्टीकरण : यदि विनिर्दिष्ट दिन को कोई अवकाश होता है, तो उससे अगला कार्यदिवस भुगतान दिवस होगा।

6. मनोरंजन के मालिक/स्वत्वाधारी का निबंधन– (1) इस अधिनियम के अधीन मनोरंजन कर भुगतान करने के दायी किसी किसी मनारेजन का कोई निर्धारिती/स्वत्वाधारी तब तक कोई मनोरंजन संचालित नहीं करेगा जबतक कि वह इस अधिनियम के अधीन विहित रीति से निबंधन कराकर उसका प्रमाण–पत्र धारण न ले।

(2) निबंधित होने के लिए उप धारा (1) द्वारा प्रत्येक निर्धारिती स्वत्वाधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह विहित प्राधिकारी को निर्धारित रीति से इसके निमित एक आवेदन पत्र दे।

(3) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित किया गया प्राधिकरण यदि संतुष्ट है कि आवेदन पत्र क्रम में है तो वह प्रार्थी को निबंधित करेगा तथा उसे निर्धारित किए गए फार्म में निबंधन का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(4) जब किसी मनोरंजन का निर्धारिती/स्वत्वधारी जिसे उप–धारा (3) के तहत इसके लिए निबंधन प्रमाण पत्र जारी किया गया है एक निर्धारिती/स्वत्वधारी के रूप में अपने व्यवसाय को रोकता या बंद करता है तो निर्धारित किया गया प्राधिकरण समापन की उसी तिथि से पंजीकरण रद्द कर देगा।

7. सिक्योरिटी – (1) विहित नियमों के अध्यधीन विहित प्राधिकारी द्वारा किसी मनोरंजन के निर्धारिती /मालिक से प्रतिभूति की राशि जमा करने की अपेक्षा की जाती है जो प्रदर्शनों की की संख्या के संबंध में यथा संगणित पूर्ण पखवाड़ों के लिए प्रभार्य कुल मनोरंजन कर से अनधिक हो,

(i) यदि आवश्यक समझा गया तो सिक्योरिटी राशि समय–समय पर घटाई–बढाई जा सकती है।

(ii) यदि प्रवेश के संबंध में कर के भुगतान की रसीद के साथ विवरणी को निश्चित तिथि पर जमा नही जाता है या यदि विवरणी अनुचित या गलत पायी जाती हैं तो प्रतिभूति या इसका कुछ भाग काट लिया जाएगा।

(iii) चूक होने पर बकाया या शास्ति, यदि कोई हो, तो मनोरंजन कर की बकाया राशि का समायोजन प्रतिभूति की राशि से कर लिया जायेगा और निर्धारिती/स्वत्वाधारी को निदेश दिया जाएगा कि वह अगला पखवाड़ा के लिए देय कर से पहले प्रतिभूति की रा ि ा को पूरा कर दे।

8. मनोरंजन में प्रवेश – (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, मनोरंजन से जुड़े कत्तव्य संपादन करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति जिस पर इस अधिनियम या कोई अन्य विधि के अधीन या उसके द्वारा शुल्क अधिरोपित किया गया हो, से भिन्न कोई व्यक्ति टिकट या सम्मानार्थ टिकट के बिना किसी ऐसे मनोरंजन में प्रवेश नहीं करेगा जिस पर धारा 3 के अधीन मनोरंजन कर भुगतेय हैं।

(2) राज्य सरकार उप–धारा (1) के प्रयोजनार्थ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर मनोरंजन स्थल विनिर्दिष्ट करेगी।

(3) उप–धारा (1) या (2) में अंतर्विष्ट कोई बात वहाँ लागू नही होगी जहाँ मनोरंजन में प्रवेश इस अधिनियम के अधीन राजस्व के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त योगिक उपाय से विनियमित किया जाता है।

9. कर के भुगतान से मुक्त किए गए मनोरंजन– राज्य सरकार ऐसी शर्तों तथा प्रतिबंधों के अध्यधीन ऐसे किसी मनोरंजन को मनोरंजन कर की उगाही तथा भुगतान से मुक्त कर सकती है, जहाँ उसका समाधान हो जाता है–

(क) कि मनोरंजन का सकल लाभ मनोरंजन के किसी खर्च हेतु ऐसे लाभ पर कोई प्रभार के साथ या बिना लोकोपकार, धार्मिक या दातव्य प्रयोजनों के लिए समर्पित है; या

(ख) कि मनोरंजन सम्पूर्ण शैक्षिक रूपवाला हो या

(ग) कि मनोरंजन उपलब्ध है उन उद्देश्यों के लिए उपलब्ध है जो आंशिक रूप से शैक्षिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक है, जो किसी व्याक्ति द्वारा मूल्यवान प्रतिफल के लिए आयोजित या स्थापित नही किए गए हैं; या

(घ) ऐसी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया मनोरंजन, जो लाभ के लिए संचालित नहीं की जाती है तथा जिसकी स्थापना केवल लोक स्वास्थ्य या कृषि हेतु या विनिर्माण उद्योग के प्रयोजनार्थ की गयी है और केवल ऐसी सामग्री का प्रदर्शन करती है जो लोक स्वास्थ्य या कृषि या उद्योग उत्पाद से जुड़ी हो अथवा उन उत्पादों के उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री, मशीनरी, उपकरण या खद्य्य पदार्थ को बढ़ावा देने के लिए उनका प्रदर्शन करती है।

(ड) कि यह मनोरंजन ऐसे किसी अन्य उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराया गया है जिसे राज्य सरकार जनहित के लिए उचित समझती है।

10. अनुसूचियों में संशोधन करने की सरकार की शक्तियाँ–राज्य सरकार अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट दर(रों) की अधिसूचना द्वारा जोड़, निकाल, संशोधित या परिवर्तित कर सकती है।

11. मनोरंजन का समय तथा उसके लिए भुगतान की दर तालिका का सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शनः– मनोरंजन की निर्धारिती/स्वत्वाधारी मनोरंजन प्रारंभ एवं समाप्त होने के समय और उसके अस्थायी स्थगन एवं बंद होने की संसूचना विहित रीति से विहित पदाधिकारी को देगा तथा परिसर के सहज दृश्य स्थल पर भुगतान की दरों एवं ऐसे भुगताानों पर देय मनोरंजन कर की राशि को प्रदर्शित करेगा।

12. मनोरंजन को प्रस्तुत करना तथा मनोरंजन कर की वसूली –

(1) किसी मनोरंजन का प्रत्येक निर्धारिती/मालिक यथा विहित तिथि को तथा को तथा यथा विहित प्राधिकारी को सही संपूर्ण तथा उचित विवरणी देगा।

(2) यदि निर्धारित तिथि को कोई निर्धारिती/मालिक विवरणी देने में असफल होता है तो विहित प्राधिकारी उस पर तय तिथि के बाद जुर्माना लगा सकती है जो 20 रुपए प्रतिदिन से अधिक नही होगा।

(3) उप–धारा(1) द्वारा अपेक्षित विवरणी देने के पहले निर्धारिती/स्वत्वाधारी कर की पूरी राशि विहित रीति से सरकारी कोषागार में भुगतान करेगा तथा कोषागार प्राप्ति को विवरणी के साथ संलग्न कर देगा।

(4) जहाँ निर्धारिती/स्वत्वाधारी उप–धारा (1) के अधीन दी गई विवरणी के अनुसार देय मनोरंजन कर का भुगतान विहित अवधि तक नहीं कर पाता है तो विहित प्राधिकारी धारा 24 की उप धारा (1) के खंड (ख) के अधीन की गई या की जाने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्धारिती/स्वत्वाधारी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् शास्ति अधिरोपित कर सकता है जो प्रथम तीन माह या उसके बाद आने वाले किसी भाग के लिए कर की राशि का तीन प्रतिशत तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती माह या उसके किसी भाग के लिए छः प्रतिशत तक बढ़ायी जा सकती है।

(5) उप–धारा (2),(5) व (6) के तहत कोई शास्ति किसी दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 24 के अधीन अधिरोपित की जा सकती है।

(6) कर या जुर्माने की कोई राशि जो इस अधिनियम के तहत बिना भुगतान के शेष बची है या धारा 3 के तहत किसी भुगतान के लिए अपेक्षित राशि जो देय तिथि के बाद बिना भुगतान के शेष रहती है वो भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।

(7) जब किसी मनोरंजन का स्वामित्व सम्पूर्ण हस्तांतरित किया गया है तो हस्तांतरिती मनोरंजन के संबंध में ऐसे कर तथा जुर्माना भुगतान के लिए दायी होगा जो हस्तांतरण की तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है तथा हस्तांतरिती हस्तांतरण के तीस दिनों के भीतर धारा–6 के अधीन निबंधन के लिए आवेदन करेगा।

13. कर निर्धारण– (1) निर्धारिती/मालिक द्वारा देय करों को निर्धारण लेखों या रजिस्टरों तथा अन्य साक्ष्य जो विहित प्राधिकारी के लिए आवश्यक हो सकते हैं के परीक्षण के बाद ही किया जाएगा।

(2) यदि निर्धारिती/मालिक कोई विवरणी नही भरता है या निर्धारण के लिए लेखा उपस्थित करने में असफल होता है तो उप–धारा (1) के तहत आवश्यक है, तो विहित प्राधिकारी निर्धारिती/मालिक को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद अपनी सर्वोत्तम विवके बुद्धि से उस निर्धारिती/मालिक द्वारा देय कर की राशि को निर्धारित कर सकता है।

(3) यदि निर्धारण कार्यवाही के दौरान या निर्धारण के पूर्व विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि निर्धारिती/स्वत्वधारी ने मानार्थ टिकटों सहित टिकटों की बिक्री की विशिष्टयाँ अथवा मनोरंजन कर की वसूली को छिपाया है अथवा को धोखा देने के लिए राजस्व के संबंध में ऐसी बिक्री या वसूली की गलत विवरणियाँ दी है तो विहित प्राधिकारी मनोरंजन कर एवं शास्ति, यदि निर्धारिती/स्वत्वधारी द्वारा भुगतेय है, की राशि के अतिरिक्त राशि शास्ति के रूप में भुगतान करने का निदेश देगा जो ऐसे कर की राशि का डेढ़ गुना से अनधिक होगी जिसे छिपाकर बचाया गया था या जिसे सच्चाई के रूप में स्वीकार किया गया था।

(4) यदि अधिकार क्षेत्र से प्राप्त सूचना पर विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि निर्धारिति/स्वत्वाधारी किसी अवधि के संदर्भ में इस अधिनियम के तहत कर भुगतान के लिए जिम्मेदार है तथा फिर भी धारा 6 के तहत निबंधन के लिए आवेदन नहीं किया है या उचित समय में निबंधन की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में असफल हुआ है, तथा

जिसके चलते उसके निबंधन को रद्द किया गया है तो विहित प्राधिकारी इसके लिए निर्धारिती/मालिक को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद उस अवधि के लिए अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से कर की राशि निर्धारित करेगा तथा जुर्माना भी अधिरोपित करेगा जो निर्धारित कर की राशि के बराबर होगा।

14. छोड़ दिया गया कर निर्धारण और लेखा परीक्षा संक्षेपणः–

(1) यदि अपने विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी अवधि के संबंध में निर्धारिती/स्वत्वाधारी को प्रवेश के लिए भुगतान किसी कारण से निर्धारण में छूट गया है अथवा धारा 13 की उप–धारा(1) के अधीन किए गए निर्धारण में किसी ऐसे व्यक्ति या निर्धारिती/स्वत्वाधारी द्वारा प्रवेश के लिए कोई भुगतान का निर्धारण नहीं किया गया है तो विहित प्राधिकारी ऐसे निर्धारिती/स्वत्वाधारी को सुने जाने का अवसर देने के प चात् ऐसे अवधि–अवसान के आठ वर्षों के भीतर ऐसे निर्धारिती/स्वत्वाधारी द्वारा भुगतेय कर के पुनःनिर्धारण का लिखित आदेश देगा;

परन्तु यदि विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसा निर्धारिती/स्वत्वाधारी ने जानबूझकर ऐसे प्रवेशार्थ भुगतान की विशिष्टियों को छिपाया है, विलोप किया है या प्रकट नहीं किया है अथवा गलत विशिष्टियाँ दी है जिसके चलते विवरणी में दिए गए आँकड़े वास्तविक राशि से कम है तो विहित प्राधिकारी धारा 24 के अधीन की गयी या की जाने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्धारिती/ स्वत्वाधारी को निदेश देगा कि वह छोड़े गये प्रवेशार्थ भुगतान की राशि पर निर्धारित कर की राशि के तिगुना से अनधिक किन्तु उसके बराबर से अन्यून राशि का भुगतान शास्ति के रूप में करे।

(2) जहाँ किए गए निर्धारण या पुनः निर्धारण के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सम्प्रेक्षण किया गया है तथा उक्त सम्प्रेक्षण से विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है वहाँ वह यथास्थिति, उस निर्धारण या पुनः निर्धारण के संबंध में जिसका सम्प्रेक्षण किया गया है, पुनः निर्धारण करने की कार्यवाही शुरू करेगा।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश निर्धारती को सुने जाने का अवसर दिए बिना पारित नही किया जायेगा।

15. वसूली की विशेष रीति–(1) धारा 12 या किसी विधि या संविदा में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी लिखित सूचना द्वारा जिसकी प्रति स्वत्वाधारी के अंतिम ज्ञान पता पर भेजी जायेगी, निम्नलिखित अपेक्षा की जोयगी–

(क) कोई व्यक्ति जिस पर कोई धन बकाया है अथवा नियत तारीख तक स्वत्वाधारी द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के कारण बकाया रह गया है तो उसे तामील की जाने वाली नियत राशि अथवा इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन जिसके द्वारा भुगतेय मनोरंजन कर या भास्ति या दोनो की राशि, अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जो स्वत्वाधारी के निमित्त या उसके कारण कोई धन रोक रखा हो या बाद में रोकता है वह इस उप–धारा के अधीन निर्गत नोटिस में विनिर्दिष्ट रीति से सरकारी कोषागार में या तो तत्काल या धन बकाया होने पर नोटिस में विनिदिष्ट समय पर या उसके भीतर (धन बकाया होने या रोकने के पूर्व नहीं) उतनी पर्याप्त राशि का भुगतान करे जो धारा 3 की उप–धारा (4) के अधीन भुगतान के लिए नियत की गयी है अथवा मनोरंजन कर की बकाया राशि या शास्ति या पूरा धन, चाहे वह उस धन के बराबर या उससे कम हो भुगतान करे।

(2) प्राधिकरण उप–धारा (1) अधीन किसी भी समय या समय–समय सूचना जारी कर, किसी सूचना को संशोधन या रद्द कर सकता है या सूचना के अनुपालन में किसी भुगतान के लिए समय का विस्तार कर सकता है।

(3) कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के पालन में भुगतान कर रहा है तो वह मालिक के प्राधिकारी के अधीन किए गए भुगतान के रूप में माना जाएगा, तथा सरकारी कोष से प्राप्त प्राप्ति में निश्चित की गई राशि से मुक्त हो जायेगा।

(4) स्वत्वाधारी को देनदारी चुकाने वाला कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन निर्गत नोटिस तामिल होने के प चात् चुकायी गयी देनदारी तक अथवा धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन भुगतान की जाने वाली नियत राशि तक अथवा मनोरंजन कर या शास्ति या दोनों जो भी कम हो के लिए राज्य सरकार के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी होगा।

(5) जहाँ कोई व्यक्ति जिसे उप धारा (1) के अधीन नोटिस तामील की गई है, नोटिस निर्गत करने वाले प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि माँगा गया धन या उसका कोई अंश स्वत्वाधारी के पास बकाया नहीं था अथवा नोटिस तामिल होने के समय वह स्वत्वाधारी के निमित्त या किसी और से कोई धन नहीं रखा था और न हीं मांगा गया धन या स्वत्वाधारी के पास बकाया होने वाला उसका कोई अंश वह रखा है तो इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह यथास्थिति, ऐसा धन या उसका कोई अंश सरकारी कोषागार में जमा करे।

(6) किसी धन की राशि जो उप–धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति से भुगतान की अपेक्षा की जाती है या उसका भुगतान नहीं करता है तो वह भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।

(7) यदि स्वत्वाधारी द्वारा धारा 7 के अधीन अपील करने पर धारा 12 की उप–धारा (8) के परन्तुक के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा वसूली स्थगित कर दी गई है तो मनोरंजन कर या शास्ति या दोनों की किसी रकम के संबंध में इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई नही की जाएगी।

16. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 2005 का 06) एवं एतद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का लागू होना – इस अधिनियम एवं एतद्धीन बनाए गए अन्य उपबन्धों के अध्यधीन झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 2005 का 06) के अधीन डीलर द्वारा भुगतेय कर, ब्याज एवं शास्ति के भुगतान के निर्धारण, पुनर्निधारण, संग्रहण एवं प्रवर्त्तन करेगा तथा इस प्रयोजनार्थ वह विवरणी, निर्धारण, छोड़ दिया गया निर्धारण, सीमांकन, कर की वसूली, बकाया कर एवं शास्तियों के भुगतान हेतु किस्तों की मंजूरी से संबंधित उपबंधों सहित उक्त अधिनियम एवं तत्समय प्रवृत्त एतद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा समनुदेशित सभी या किसी शास्ति का प्रयोग करेगा तथा ब्याज एवं भाास्ति, वूसली का वि ोश तरीका, लेखा संधारण, निरीक्षण, तलाशी एवं अभिग्रहण, प्रतिनिधि के हैसियत से देनदारी, वापसी, अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन, अपराध प्रशमन एवं अन्य प्रकीर्ण मामलों से संबंधित निरसित अधिनियम के उपबंध और उक्त अधिनियम के उपबंध के तदनुसार यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

17. कतिपय मामलों में कर वापसी– जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाता है मनोरंजन का शुद्ध आय, धार्मिक या लोकोपकारी दात्तव्य उद्देश्यों के लिए समर्पित है तथा शुद्ध आय कि गणना में मनोरंजन खर्च के कारण सकल लाभ का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं काटा गया है तो मनोरंजन के संबंध में भुगतान किया गया मनोरंजन कर की राशि निर्धारिती/मालिक को वापस कर दी जाएगी।

18. मनोरंजन स्थलों में प्रवेश एवं उसका निरीक्षण– (1) (क) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई पदाधिकारी इस इधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन को देखने के प्रयोजन से मनोंरजन चलने के दौरान अथवा मनारेजन स्थल के

रूप में प्रयुक्त किसी स्थल में किसी समुचित समय पर प्रवेश निरीक्षण एवं तलाशी कर सकते हैं।

(ख) इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक पदाधिकारी भारतीय दण्ड संहिता (1860 का XLV) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

(ग) इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक पदाधिकारी ऐसे स्थलों में प्रवेश कर सकता है जहां मनोरंजन कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए टिकट या उसकी अधकटी रखी जाती है अथवा मनोंरजन से संबंधित लेखा, रजिस्टर या अन्य कागजात रखे या संधारित किए जाते हैं तथा सुनिश्चि समय पर ऐसे स्थल या कार्यालय या किसी बॉक्स या पात्र की तलाशी कर सकता है जिसमें टिकट अधिकारी, लेखा, रजिस्टिर या अन्य कागजात रखें जाते हैं तथा उसका निरीक्षण कर सकता है, यदि उसे यह संदेह करने का कारण दिखाई पड़ता है कि कर भुगतान में अपवंचन किया गया है या किये जाने का प्रयत्न किया गया है तो वह कारण को अभिलिखित करते हुए ऐसे टिकटों, अधिकारियों, लेखाओं, रजिस्टरों एवं अन्य कागजात का अभिग्रहण कर सकता है तथा उसके लिए प्राप्ति रसीद प्रदान करेगा तथा ऐसे अभिगृहित टिकटों, अधिकारियों, लेखाओं, रजिस्टरों एवं अन्य कागजात को तब तक रोक रखेगा जब तक उसके परीक्षण या अभियोजन के लिए आवश्यक है और उसके पश्चात् उन्हें निर्धारिती/स्वत्वाधारी को वापस कर देगा।

(घ) यदि कोई निर्धारिती/स्वत्वाधारी या जो कोई उक्त परिसर में व्यवसाय करता है किसी दरवाजे या बॉक्स या पात्र जिसमें टिकट, प्रति पर्णक, रजिस्टर या अन्य संबंधित दस्तावेज रखे गये हैं को खोलने में असमर्थता दिखा रहा है या खोलने से मना करता है तो अधिकारी के पास किसी बाक्स या पात्र को जिसमें मनोरंजन से संबंधित टिकट,प्रति पर्णक, रजिस्टर या अन्य संबंधित दस्तावेज है या किसी परिसर के दरवाजे को तोडने का अधिकार रखता है।

(2) प्रत्येक मनोरंजन का निर्धारिती/मालिक या यह व्यक्ति जो मनोरंजन स्थल के रूप में प्रयुक्त किसी स्थल का प्रभारी है वह इस उप–धारा (1) के तहत निरीक्षण अधिकारी को उसके कर्त्तव्यों के निर्वहण में उचित सहयोग देगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति निरीक्षण अधिकारी को प्रवेश करने से रोकता है या बाधा डालता है तो वह तत्समय प्रवृत किसी अन्य कानून के तहत दायी सजा के अतिरिक्त दण्ड का अधिकारी होगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो बढकर 2000 रुपए भी हो सकता है।

19. लेखा एवं कागजात की प्रस्तुति एवं निरीक्षण – (1) यथाविहित नियमों के अध्यधीन विहित प्राधिकार निर्धारण के पूर्व या पश्चात् किसी निर्धारिती/स्वत्वाधारी से यह अपेक्षा करता है कि वह एसके समक्ष फिलमों के निर्माता या वितरक के साथ सम्व्यवहार, मानार्थ टिकटों सहित टिकटों का मुद्रण, मानार्थ टिकटों सहित टिकटों की बिक्री, प्रवेश या मनोरंजन कर के लिए भुगतान की वसूली, मनोरंजन कार्यक्रम से प्राप्त लाभ सहित वित्तीय सम्व्यवहार से संबंधित किसी जानकारी के लिए कोई लेखा, रजिस्टर या कागजात प्रस्तुत करे जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो, तो निर्धारिती/स्वत्वाधारी ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(2) उप–धारा (1) में उल्लेखित सभी लेखा, रजिस्टर, कागजात उचित समय पर विहित प्राधिकार द्वारा निरीक्षण करने के लिए खुले रहेंगे, प्राधिकार यदि आवश्यक समझे तो ऐसे लेखा, रजिस्टर या कागजात के उद्धरणों की प्रति ले सकता है या उसकी प्रति करवा सकता है।

20. कर के संग्रहण पर प्रतिबंध – (1) कोई भी वह व्यक्ति जिसने धारा 6 की उपधारा (3) के तहत निबंधन का प्रमाण–पत्र ग्रहण नही किया गया है, वह किसी मनोरंजन में प्रवेश पर लगाए गए कर के लिए किसी भी नाम या विवरण से कोई भी राशि एकत्र नहीं करेगा।

(2) कोई भी निर्धारिती/स्वत्वाधारी ऐसे मामलों को छोड़कर जिसमें वह धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कर भुगतान करने का दायी हो, किसी भी व्यक्ति से ऐसी रकम एकत्र नहीं करेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति या निबंधित निर्धारिती/स्वत्वाधारी उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो विहित प्राधिकार उसे सुने जाने का अवसर देने के बाद लिखित आदेश द्वारा उसे निदेश देगा कि वह उक्त उप–धारा (1) व (2) के उपबन्धों के उल्लंघन से एकत्र राशि से दुगूनी राशि शास्ति के रूप में भुगतान करे।

21. अधिकारिता का वर्जन–धारा 22 में यथाउपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

22. उच्च न्यायालय में मामले का कथन –(1) न्यायाधिकरण द्वारा अपील के अधीन कोई आदेश पारित करने के नब्बे दिनों के भीतर पारित आदेश के संबंध में निर्धारिती या आयुक्त एक हजार रुपए के शुल्क के साथ लिखित आवेदन करेगा, जहाँ ऐसा आवेदन निर्धारिती द्वारा किया गया है वह ऐसा आदेश के विरूद्ध उठाया गया विधि का कोई प्रश्न उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करे।

(2) कारणों को अभिलिखित करते हुए न्यायाधिकण ऐसा निर्देश करने से इन्कार कर सकता है, ऐसी परिस्थित में आवेदक ऐसे आदेश के 45 दिनों के भीतर, या तो–

(क) अपना आवेदन वापस ले सकता है। यदि आवेदक ऐसा करता है तो उसके द्वारा भुगतान किया गया है शुल्क वापस कर दिया जायेगा; अथवा

(ख) ऐसे इन्कार के विरूद्ध उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

(3) उप–धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेवन प्राप्त होने पर यदि उच्च न्यायालय का समाधान नहीं होता है कि ऐसा इन्कार न्यायोचित था तो न्यायाधिकरण से अपेक्षा की जायेगी कि वह मामले का कथन करे तथा इसे उच्च न्यायालय में निर्दिष्ट करे तथा ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण तदनुसार मामले को निर्दिष्ट करेगा।

(4) यदि उच्च न्यायालय का समाधान नहीं होता है कि इस धारा के अधीन निर्दिष्ट मामले का कथन उसमें उठाया गया प्रश्न को निर्धारित करने में सक्षम है तो वह मामले को उसमें ऐसा परिवर्द्धन या परिवर्तन करने के लिए न्यायाधिकरण को वापस निर्दिष्ट करेगा जैसा कि न्यायालय इस निमित निदेश दे।

(5) उच्च न्यायालय मामले पर सुनवाई करने के पश्चात उठाए गए विधि के प्रश्न पर विनिश्चय करेगा कि और जिन आधारों पर विनिश्चय किया गया है उनको अंतर्विष्ट करते हुए अपना निर्णय देगा तथा न्यायालय की मुहर एवं निबंधक के हस्ताक्षर की हुई निर्णय की प्रति न्यायाधिकरण को भेजेगा और न्यायाधिकरण निर्णय के अनुरूप अपने आदेश में संशोधन करेगा।

(6) जहां इस धारा कै अधीन उच्च न्यायालय में निर्दिष्ट किया गया है तो उप–धारा (1) में निर्दिष्ट शुल्क का निबटारा सहित न्यायालय के विवेकाधीन होगा।

(7) न्यायाधिकरण के उस निदेश के अनुसार, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन आवेदन किया गया हो बकाया शास्ति, यदि कोई हो, सहित कर की रकम का भुगतान ऐसे आवेदन या किए गए निर्देश के लंबित रहने के चलते स्थगित नहीं किया जायेगा।

(8) न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन कोई आवेदन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी स्वीकार कर सकता है, यदि यह संतुष्ट है कि आवेदन पत्र समय से प्रस्तुत न कर पाने के लिए प्रार्थी के पास उचित कारण है।

(23) लाभ के लिए टिकटों या मानार्थ टिकटों की पुनः बिक्री का प्रतिषेध–भारतीय सुखचार अधिनियम, 1882 की धारा 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति द्वारा टिकट या मानार्थ टिकट की पुनः बिक्री नही की जाएगी।

(24) अपराध या शास्तियाँ–(1) यदि किसी मनोरंजन का कोई निर्धारिती या स्वत्वाधारीः–
(क) धारा 8 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए मनोरंजन के किसी स्थान हेतु भुगतान के लिए प्रवेश किया है; या
(ख) विहित समय के भीतर बकाया कर का भुगतान नहीं करता है; या
(ग) इस अधिनियम के तहत बकाया किसी कर का भुगतान कपटपूर्वक अपवंचित रुप से करता है; या
(घ) धारा 18 या 19 के तहत निरीक्षण पर आए किसी अधिकारी को जाँच या अभिग्रहण प्रक्रिया में विघ्न डालता है।
(ड.) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियमों, किसी अन्य उपबंध अथवा ऐसे निबंधों या नियमों के अधीन दिए गए आदेश या निदेश का उल्लंघन करता है तो वह तीन माह से अन्यून किन्तु छः माह से अनधिक अवधि तक कठोर कारावास एवं 1000 तक की शास्ति से दंडनीय होगा।

परन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में (अधिनियम II, 1974) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस उप–ध्धारा के खण्ड (क), (ख) तथा (ड) में यथा वर्णित सभी अपराध संज्ञेय होगें तथा इस उप–धारा के खण्ड (ग), एवं (घ) में वर्णित सभी अपराध संज्ञेय एवं गैर–जमानती होगें।
(2) यदि मनोरंजन के निर्धारिती/स्वत्वाधारी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति धारा 23 के उपबंध का उल्लंघन करता है तो वह 1000 रुपए तक के जुर्माना से दंडित होगा।
(3) इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध के विरूद्ध कोई भी न्यायालय विहित प्राधिकार की पूर्वानुमति के बिना संज्ञान नहीं लेगा तथा प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी से निम्नतर कोई न्यायालय ऐसे अपराधों का विचारणा नहीं करेगा।
25. अपराध शमन की शक्ति– (1) विहित प्राधिकरी धारा 24 के अधीन कार्यवाही चलाने के पूर्व या इसके पश्चात् उक्त धारा की उप–धारा (1) एवं (2) के अधीन अपराध करने वाला या किए जाने के लिए उचित रूप में संदिग्ध व्यक्ति का अपराध निम्नलिखित रूप में शमन कर सकता है–
(क) जहाँ अपराध इस अधिनियम के अधीन भुगतेय किसी कर के भुगतान नहीं करने या उसका अपवंचन से संबंधित है वहाँ भुगतेय कर की रकम से दुगुना से अनधिक राशि स्वीकार कर; तथा
(ख) अन्य मामलों में दो हजार रूपये से अनधिक राशि स्वीकार कर।
(2) उप धारा (1) के अधीन विहित प्राधिकार द्वारा यथा निर्धारित राशि के भुगतान करने पर विहित प्राधिकार जहां आवश्यक है वहां न्यायालय को रिपोर्ट करेगा कि अपराध का शमन हो चुका है तथा इसके पश्चात् धारा 12 के अधीन उसी अपराध के लिए अपराधी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की जाएगी।
26. कतिपय कार्यवाहियों का वर्जन – (1) इस अधिनियम के अधीन की गई या की जाने से तात्पर्यित किसी कार्रवाई के लिए किसी पदाधिकारी या सरकारी सेवक के विरूद्ध कोई भी अभियोजन राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं लाया जायेगा।
(2) कोई पदाधिकारी या सरकारी सेवक ऐसी कार्रवाई के लिए किसी सिविल या आपराधिक कार्यवाही का भागी नहीं होगा, यदि ऐसी कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित कर्त्तव्यों के निष्पादन या कृत्यों के निर्वहण के दौरान की गई है।

27. नियमावली बनाने की शक्ति– (1) इस नियम के सभी या किसी प्रयोजन के निष्पादन के लिए सरकार अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।
(2) विशिष्टियां एवं पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में इस अधिनियम के अधीन किए जाने वाले आवेदन, आपूरित फारम, प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र तथा पुनरीक्षणार्थ की जाने वाली अपील एवं आवेदन निरसित अधिनियम के उपबंधों के अधीन बकाया करों एवं शास्तियों के भुगतान के लिए किस्तों की मंजूरी तथा इस अधिनियम के अधीन दाखिल कागजात या किए गए आदेश की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए किसी आवेदन के संबंध में भुगतेय शुल्कों का उपबंध होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के छः माह के भीतर राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में है। एवं यदि सत्र में नहीं हो तो ठीक अनुवर्ती सत्र में कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए जो एक सत्र में या दो उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सके, रखा जायेगा तथा यदि उस सत्र के, जिसमें इसे रखा गया है या ठीक अनुवर्ती सत्र के सत्रावसान होने के पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपांतरण या बातिलीकरण करने के लिए सहमत हो जाती है तो यह नियम उपांतरण या बातिलीकरण अधिसूचित होने की तारीख से यथास्थिति, अपने उपांतरित एवं बातिल रूप में ही प्रभावी होगा, फिर भी ऐसे उपांतरण या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन की गयी पूर्ववर्ती किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

28. निरसन तथा व्यावृत्तियां – (1) अंगीकृत बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 इस अधिनियम के तहत बने नियमावली एवं इसके अंतर्गत निर्गत अधिसूचनाएँ अधिनियम के प्रारंभ होने की की तिथि से निरसित की जाती है।

परन्तु यह और कि उक्त अधिनियम के अधीन और इसके अधिनियम के प्रारम्भ होने पर प्रवृत्त बनाए गए सभी नियम, प्रकाशित अधिसूचनाऐं, प्रदत्त शक्तियाँ एवं की गयी अन्य बातें, जहां तक इस नियम से असंगत न हो वहां तक वे इस अधिनियम के अधीन क्रमशः बनाए गए , प्रकाशित, प्रदत्त एवं की गयी समझी जायेंगी मानो यह अधिनियम इस तारीख को प्रवत्तन में था जब निरसित अधिनियम अधिनियमित हुआ था।

(2) अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए सभी नियम, स्कीम, किए गए आदेश एवं नियुक्ति, निर्गत किए गए सभी अधिसूचना, प्रमाण–पत्र, फारम या की गई कार्रवाई एवं बातें अथवा जिनका बनाया जाना, किया जाना, निर्गत करना तात्पर्यित हो वे सभी इस अधिनियम के अधीन उसी तरह बनाए गए, किए गए या निर्गत हुए माने जायेंगे मानो यह अधिनियम उन सुसंगत तारीखों को प्रवृत्त था।

29. विधिमान्यकरण तथा छूट– (1) कोई निर्धारिती जो निरसित अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने के लिए जिम्मेदार था, उसकी यह जिम्मेदारी इस अधिनियम के प्रवृत्त नहीं होने पर भी बनी रहेगी तथा वह इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के अनुसार इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने के लिए जिम्मेवार माना जायेगा।

(2) इस अधिनियम में अन्यत्र अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी –

(क) नियम दिन के ठीक पूर्व निरसित किए गए अधिनियमों के अधीन विवरणी देने के लिए जिम्मेदार कोई निर्धारिती उस अवधि के रहते हुए भी जिसके संबंध में उसे ऐसा करना है, ऐसा नियत दिन को या इसके पूर्व विवरणी दाखिल करेगा तथा नियमत दिन के ठीक पूर्व बनाया गया इस अधिनियम के अधीन भुगतेय कर के संबंध में ऐसी विवरणी ऐसा नियत दिन के पश्चात् किसी भी दिन दाखिल करेगा तथा निरसित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ही कर का भुगतान करेगा और अवधि के शेष भाग के लिए अलग से विवरणी देगा।

(ख) कोई निर्धारिती जो निरसित अधिनियमों के अधीन कर भुगतान करने का दायी नहीं है और जिसका लेखा रजिस्टर या कागजात निरसित अधिनियमों के अधीन जब्त है वह नियत दिन को या उसके पश्चात् भी निरसित अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार जब्त हीं रहेगा,

(ग) निरसित अधिनियमों अथवा एतद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित सभी फारम जो नियत दिन के ठीक पूर्व के दिन को ऐसे नियत दिन के प्रभाव से प्रवृत्त किए गए थे, वे प्रवृत्त बने रहेगे तथा यथाव यक परिर्वतनों के साथ उनका उपयोग उन प्रयोजनों के लिए जिनके लिए ऐसे नियत दिन के पूर्व हो रहा था, जब तक होाता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे फारमों का उपभोग ऐसे समय से जो इस निमित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, बंद करने का निदेश न दे।

(घ) निर्धारित दिन के पूर्व निरसित अधिनियमों के अधीन भुगतेय कर के संबंध में निरसित अधिनियमों या अतद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारिती द्वारा किसी विहित प्राधिकार से अभिप्राप्त या अभिप्रात्य कोई विहित फारम अथवा उनके द्वारा की गयी या की जाने वाली कोई घोषणा विधिमान्य होंगे, जहा से सरकार नियत दिन को या इसके पश्चात् ऐसा विहित अभिप्राप्त है या ऐसा विहित फारम दिया गया है।।

(ङ) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन अथवा नियत दिन के पूर्व पारित आदेश किसी आदेश से उद्भूत निर्देश अथवा ऐसे नियत दिन के पूर्व किए गए कर निर्धारण से उद्भूत कोई अपील अथवा प्रत्यर्पण या विहित फारम के लिए कोई आवेदन ऐसे दिन के पूर्व किसी अवधि में निरसित अधिनियमों के अधीन किए गए हैं और ऐसे नियत दिन को लंबित है अथवा ऐसे नियत दिन को किए गए हैं तो उसका निपटारा निरसित अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा,

(च) निरसित अधिनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकार अथवा कोई अन्य प्राधिकार जिसे उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकार द्वारा इस निमित शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं वह नियत दिन के पूर्व पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन स्वप्रेरणा से निरसित अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार कर सकता है;

(छ) नियत दिन के पूर्व निरसित अधिनियमों के अधीन भुगतेय कर के संबंध में निरसित अधिनियमों के अधीन निर्धारित कोई कर या अधिरोपित शास्ति उक्त अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार भुगतेय या वसूलनीय होगें।

30. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति– यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा या अन्यथा ऐसे उपबंध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो तथा कठिनाई को दूर करने के लिए जो उसे आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत हों।

31. निरसन तथा व्यावृत्तियां – (1) झारखण्ड मनोरंजन कर अध्यादेश, 2012 (झारखण्ड अध्यादेश संख्या–02, 2012) एतत द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) परन्तु यह और कि उक्त अध्यादेश के अधीन और इसके अधिनियम के प्रारम्भ होने पर प्रवृत्त बनाए गए सभी नियम, प्रकाशित अधिसूचनाऐं, प्रदत्त शक्तियाँ एवं की गयी अन्य बातें, जहां तक इस नियम से असंगत न हो वहां तक वे इस अधिनियम के अधीन क्रमशः बनाए गए , प्रकाशित, प्रदत्त एवं की गयी समझी जायेंगी मानो यह अध्यादेश इस तारीख को प्रवृत्त था जब निरसित अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था।

अनुसूची

धारा 3 की उप–धारा (2) देखें

क्र. सं.	मनोरंजनों का विवरण			मनोरंजन कर की दर
1.	संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी पर्षद, नगर पर्षद, खान पर्षद, नगरपालिका पर्षद, शहरी क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत या यथागठित कोई अन्य ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या के साथ सहपठित सिनेमाटोग्राफ प्रदर्शन–			
	की जनसमुदाय	श्रेणी	सप्ताह में शो की संख्या इससे अधिक नही	
	5 लाख तथा इससे ऊपर	क	18	सकल संग्रहण क्षमता का 16 प्रतिशत
	2.5 लाख से अधिक नही तथा 5 लाख तक	ख	16	सकल संग्रहण क्षमता का 11 प्रतिशत
	1 लाख से अधिक नही तथा 2.5 लाख तक	ग	12	सकल संग्रहण क्षमता का 8 प्रतिशत
	1 लाख से कम	घ	10	सकल संग्रहण क्षमता का 6 प्रतिशत
2.	विडियो प्रदर्शन की श्रेणी में आने वाले मनोरंजनों के वर्ग तथा विवरण			
	(क) जहाँ सीटों कुल की संख्या 50 है			2000.00 रुपए प्रति माह
	(ख) जहाँ सीटों की कुल संख्या 50 से अधिक है			4000.00 रुपए प्रति माह
	(ग) जहाँ सीटों की संख्या 100 से अधिक है			7000.00 रुपए प्रति माह
3.	मल्टीप्लेक्स सिनमा कॉम्पलेक्स की श्रेणी में आने वाले मनोरंजनों के वर्ग तथा विवरण			
	जहाँ सीटों की कुल संख्या 750 से अधिक नही हो।			40,000.00 रुपए प्रति सप्ताह
4.	केबल टेलिविजन नेटवर्क की श्रेणी में आने वाले मनोरंजनों के वर्ग तथा विवरण			प्रति माह के मूल्यवान प्रतिफल के लिए सकल संग्रहण क्षमता का 7.5 प्रतिशत
5.	डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा या इसी प्रकार की अन्य सेवा की श्रेणी में आने वाले मनोरंजनों के वर्ग तथा विवरण			प्रति माह के मूल्यवान प्रतिफल के लिए सकल संग्रहण क्षमता का 10 प्रतिशत
6.	इस अनुसूची में अन्यत्र किसी श्रेणी में आने वाले मनोरंजनों के सभी वर्ग तथा विवरण			प्रति माह के मूल्यवान प्रतिफल के लिए सकल संग्रहण क्षमता का 10 प्रतिशत प्रति टिकट या प्रति माह के मान्य चिंतन के लिए सकल संग्रहण क्षमता का 10 प्रतिशत : जैसा भी विषय हो

यह विधेयक झारखण्ड मनोरंजन कर विधेयक, 2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 30 मार्च, 2012 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 154--50--31-03-2012 ।